न्यायालयः श्री मनीष कुमार पाण्डेय अवर न्यायाधीश अरेराज, पूर्वी चम्पारण।

बंटवारा वाद सं0-271/13
सीआईएस संख्या -499/18

आदेश

दिनांक 18.1.2024

दिनांकः 18.01.2024 वाद पुकारा गया। प्रस्तुत मामला वादी की तरफ दिनांक 19.05.2023 को आदेश 22 नियम 4 तथा धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता में प्रस्तुत आवेदन के आदेश हेतु निर्धारित है।

वादी ने अपने आवेदन में कहा है कि प्रतिवादी सं0 11 खेदन महतो की मृत्यु 03.03.2023 को अपनी दो पुत्र तथा 1 पुत्री व अन्य स्वर्गवासी पुत्र के वंशज को छोड़कर मर गए। यह कि उनकी पत्नी पूर्व में ही मर चुकी है अतः प्रतिवादी सं0 11 का नाम कलमजद होना जरूरी है। और उनके स्थान पर उनके जीवित वारिसों का प्रतिस्थापन आवश्यक है अतः आवेदन को स्वीकृत करने की कृपा करें।

प्रतिवादी की तरफ से आवेदन के विरुद्ध प्रतिउत्तर देते हुए कहा गया कि आवेदन गलत आधार पर दिया गया है । प्रतिवादी सं0 11 के वारिसान का नाम पता अधूरा तथा अस्पष्ट है अतः आवेदन अस्वीकृत करने की कृपा की जाए।

उभय पक्षों को सुना, मामले में अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत वाद 11 वर्ष पुराना है वादी के आवेदन के अनुसार प्रतिवादी सं0 11 खेदन महतो की मृत्यु 03.03.2023 को अपनी दो पुत्र तथा 1 पुत्री व अन्य स्वर्गवासी पुत्र के वंशज को छोड़कर मर गए। यह कि उनकी पत्नी पूर्व में ही मर चुकी है अतः प्रतिवादी सं0 11 का नाम कलमजद होना जरूरी है। और उनके स्थान पर उनके जीवित वारिसों का प्रतिस्थापन आवश्यक है मामले में आवेदन शपथ पत्र से समर्थित है आवेदन समय से दिया गया है प्रस्तुत आवेदन **स्वीकृत** करते हुए न्यायालय आदेश देती है कि मृत प्रतिवादी का नाम कलमजद किया जाए और आवेदन पत्र में वर्णित प्रतिवादी के वारिसों को प्रतिवादी सं0 11 के सिरिज के रूप में क्रमवार प्रस्थापित करें। एतद द्वारा यह आवेदन का निपटारा किया जाता है। वाद दिनांक ....वास्ते अग्रिम कार्रवाई ।

स्थानः अरेराज
पूर्वी चम्पारण।

लेखापित व संशोधित

मनीष कुमार पाण्डेय
अवर न्यायाधीश
अरेराज,पूर्वी चम्पारण।